	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 10, सोमवार शाके 1941–जुलाई 01, 2019 *Asadha 10, Monday, Saka 1941–July 01, 2019*	

भाग 3 (क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, 28 जून, 2019

संख्या एफ.13(11)विशा/विस/2019 .-राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019 जैसा कि दिनांक 28 जून, 2019 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर

सचिव।

<u>2019 का विधेयक **सं. 11**</u>

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 6 मार्च, 2019 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1973 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आठ वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) परन्तुक के विद्यमान खण्ड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(कक) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 2) के प्रारम्भ पर पद धारण कर रहे लोकायुक्त द्वारा, ऐसे प्रारम्भ से वह पद छोड़ा हुआ समझा जायेगा;"; और

(iii) परन्तुक का विद्यमान खण्ड (ककक) हटाया जायेगा।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हाल ही में, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5 में संशोधन द्वारा लोकायुक्त की पदावधि पांच वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष की गयी थी। किन्तु देश के अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। इसके अतिरिक्त, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन अध्यक्ष की पदावधि भी पांच वर्ष है। देश के अन्य राज्यों में लोकायुक्त और केन्द्र में लोकपाल के अध्यक्ष की पदावधि में समानता बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि लोकायुक्त के पद के लिए पांच वर्ष की अवधि पर्याप्त है। तदनुसार, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 6 मार्च, 2019 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 7 मार्च, 2019 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 11 of 2019

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) BILL, 2019

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 6th March, 2019.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 9 of 1973.- In sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 (Act No. 9 of 1973), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing expression "eight years" , the expression "five years" shall be substituted;

(ii) for the existing clause (aa) of the proviso, the following clause shall be substituted, namely:-

"(aa) the Lokayukta holding office at the commencement of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 2 of 2019) shall be deemed to have demitted that office with effect from such commencement;"; and

(iii) the existing clause (aaa) of the proviso shall be deleted.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 2 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Recently, the term of office of Lokayukta was increased from five years to eight years by amending section 5 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973. But in most of the States of the country the Lokayukta holds office for a term of five years. Moreover, the term of the Chairperson under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (Central Act No. 1 of 2014) is also five years. In order to maintain parity with the term of, Lokayukta in other States of the country and, Chairperson of Lokpal in the centre, it was decided by the State Government that term of five years is adequate for the office of the Lokayukta. Accordingly section 5 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 was proposed to be amended suitably.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action,

he, therefore, promulgated the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 2 of 2019) on 6th March, 2019, which was published in Rajasthan Gazette Extraordinary, Part IV(B) dated 7th March, 2019.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

further to amend the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर